संख्या- 22/2017/1559/बयालिस-2017-27(बजट)/2016

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2017**

विषय :- वित्तीय वर्ष- 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 558/2017-18, दिनांक 28 जुलाई, 2017 एवं पत्र संख्या- जी0- 626/बजट/2017-18, दिनांक 11 अगस्त, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। वित्तीय वर्ष- 2017-18 के प्रथम पाँच माहों के लिए स्वीकृत लेखनुदान के सापेक्ष धनराशि निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 495/बयालिस-2017-27(बजट)/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2017 एवं शुद्धि-पत्र संख्या- 1588/बयालिस-2017-27(बजट)/2016, दिनांक 22 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2017-18 के बजट में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिए बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 7564.15 लाख के सापेक्ष स्पोर्टस कालेज, लखनऊ, गोरखपुर एवं सैफई को दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि को छोडकर लेखानुदान से स्वीकृत धनराशि रू0 2768.11 लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 4796.04 लाख (रू0 सैतालिस करोड़ छियान्नबे लाख चार हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार राज्यवाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि प्रदेशन मात्र है यह किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- शासकीय व्यय में मित्व्ययिता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- सीए- 934/10-2004-मित-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

(3)- जिन मदों में निदेशालय के नियंत्रक अधिकारी स्वयं अपने स्तर से धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है उन स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेश की प्रति शासन को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

करके उपलब्ध करायी जायेगी तथा व्यय के वास्तविक विवरण भी माह के 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2017/बी-1-414/दस-2017-12(2)/2017, दिनांक 23 मार्च, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति के फलस्वरूप विभिन्न मदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 22 के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक उप लेखाशीर्षकों/विभिन्न् पदों (संलग्न विवरण के अनुसार) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्राविधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1559/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(6)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(7)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vunku l0&22 ¼ :0 yk[k e½

;tuk dk uke	jktLo y[kk e ctV ikfo/kku 2017&18	y[kkunku }kjk Lohdr 2017&18	Lohdfr gr vo'k"k /kujkf'k
2013&ef= ifj"kn 105&ef=;k }kjk foodk/khu vunku 03&dhMk e=h }kjk foodk/khu vunku 42&vU; 0;;	0.10	0.04	0.06
;kx \&	**0.10**	**0.04**	**0.06**
2059&ykd fuek.k dk; &80&lkekU;&053&j[kj[kko rFkk ejEer&03&Ek;kgky bykgkckn d vukoklh; Hkouk dk vuj{k.k&29&vuj{k.k	4.00	1.67	2.33
;kx \&	**4.00**	**1.67**	**2.33**
2204&[kydn rFkk ;ok lok; 001&fun'ku rFkk i'kklu 03&[kydn fun'kky;			
01&oru	2513-10	1047.12	1465.98
03&egxkkb HkRrk	150-79	52.36	98.43
04&;k=k 0;;	30-00	5.00	25.00
05&LFkkukUrj.k ;k=k 0;;	10-00	2.08	7.92
06&vU; HkRr	96-00	40.00	56.00
07&ekun;	0-20	0.08	0.12
08&dk;ky; 0;;	12-00	4.17	7.83
09&fo|r n;	500-00	145.83	354.17
10&tydj@ty iHkkj	200-00	83.33	116.67
11&y[ku lkexh vkj Qkek dh Nkb	7-00	2.91	4.09
12&dk;ky; Quhpj ,o midj.k	15-00	4.17	10.83
13&VyhQku ij 0;;	5-00	1.25	3.75
14&ekVj xkfM;k dk d;	21-00	8.75	12.25
15&xkfM;k dk vuj{k.k vkj iVky vkfn dh [kjhn	14-00	5.83	8.17
16&0;kolkf;d rFkk fo'k"k lokvk d fy, Hkxrku	8-00	3.33	4.67
17&fdjk;k] mi'kYd vkj dj Lokfeo	2-00	0.83	1.17
22&vkfrF; 0;;@0;; fo"k;d HkRrk vkfn	0-50	0.21	0.29
26&e'khu vkj lTtk@midj.k vkj l;=	7-00	1.67	5.33
44&if'k{k.k gr ;k=k ,o vU; iklfxd 0;;	2-00	0.83	1.17
45&vodk'k ;k=k 0;;	2-00	0.83	1.17
46&dEl;Vj gkMo;j@lk¶Vo;j dk d;	5-00	2.08	2.92
47&dEl;Vj vuj{k.k@rRlEcU/kh LV'kujh dk d;	8-00	3.33	4.67
49&fpfdRlk 0;;	24-00	12.50	11.50
51&onh 0;;	0-50	0.21	0.29
52&ijuhf{kr oru dk vo'k"k ¼jktdh;½	151-57	63.15	88.42
;kx 001	**3784-66**	**1491.85**	**2292.81**

;tuk dk uke	jktLo i{k e ctV ikfo/kku 2017&18	y[kkunku }kjk Lohdr 2017&18	Lohdfr gr vo'k"k /kujkf'k
104&[kydn			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

03&ljdkjh depkfj;k rFkk mud ifjokjk d dY;k.k lEcU/kh dk;dyki 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	7-00	2-91	4-09
04&dhMk Nk=kok l d vkokl h; f[kykfM;k ij 0;; ¼ckfydkvk gr½&12&dk;ky; Quhpj ,o midj.k 42&vU; 0;;	20-00 105-91	8.33 30.18	11.67 75.73
;kx 04	**125-91**	**38.51**	**87.40**
05&Hkrio ifl) f[kykfM;k rFkk igyokuk dk foRrh; lgk;rk&20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	175-92	73.30	102.62
06&dhMk Nk=kok l d vkokl h; f[kykfM;k ij 0;; ¼ckydk gr½&12&dk;ky; Quhpj ,o midj.k 42&vU; 0;;	20-00 448-38	6.25 129.17	13.75 319.21
;kx 06	**468-38**	**135.42**	**332.96**
08&E;kgky byksgkcn e LFkkfir dhMk LFky ¼&			
01&oru	51-40	21.30	30.10
03&egxkbZ HkRrk	3-08	1.07	2.01
04&;k=k 0;;	0-35	0.15	0.20
05&LFkkukUrj.k ;k=k 0;;	0-15	0.06	0.09
06&vU; HkRr	3-60	1.50	2.10
08&dk;ky; 0;;	0-70	0.29	0.41
09&fo|r n;	12-00	5.00	7.00
10&tydj@ty iHkkj	0-10	0.04	0.06
11&y[ku lkexh vkj Qkek dh Nkb	0-30	0.12	0.18
12&dk;ky; Quhpj ,o midj.k	1-00	0.42	0.58
13&VyhQku ij 0;;	0-15	0.06	0.09
43&lkexh ,o lEifr	0-20	0.08	0.12
44&if'k{k.k gr ;k=k ,o vU; ikl fxd 0;;	0-10	0.04	0.06
45&vodk'k ;k=k 0;;	0-20	0.08	0.12
47&dEl;Vj vuj{k.k@rRlEcU/kh LV'kujh dk d;	0-25	0.10	0.15
49&fpfdRlk 0;;	0-60	0.42	0.18
51&onh 0;;	0-05	0.02	0.03
52&ijuhf{kr oru dk vo'k"k ¼jktdh;½	3-10	1.29	1.81
;kx 08	**77-33**	**32.04**	**45.29**
09&dhMkxuk@LVfM;ek@cgmnn'kh;gkyk@rj.krkyk@ Nk=kok lk ,o Hkouk dk vuj{k.k&29&vuj{k.k	550-00	229.17	320.83
10&fof'k"V f[kykfM;k dk in'kh; ijLdkj 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	40-00	12.96	27.04
11&dhMk ,o [kydn ifr;kfxrkvk dk vk;ktu ¼jkT; l-½& 42&vU; 0;;	400-00	166.67	233.33
12&[kydn midj.k lkexh dh lEifr 43&lkexh ,o lEifr	150-00	62.50	87.50
13&jk"Vh;@vrjk"Vh; ifr;kfxrkvk d fotrk f[kykfM;k dk ijLdkj 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	300-00	125.00	175.00

;ktuk dk uke	jktLo i{k e ctV ikfo/kku 2017&18	y[kkunku }kjk Lohdr 2017&18	Lohdfr gr vo'k"k /kujkf'k

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16&iR;d dhMkxu e ,d fQft;kFkjh dUn dh LFkkiuk&42&vU; 0;;	10-00	4.17	5.83
18&if'k{k.k ¼jkT; lDVj½ 42&vU; 0;;	1000-00	291.67	708.33
21&jk"Vh; ifr;kfxrkvk e Hkkx yu okyh in'kh; Vhe d f[kykfM;k gr fdV dh 0;oLFkk 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	75-00	12.50	62.50
22&ikn'kh; dhMk l?kkjDyck ,oe vU; dhMk l?kk vkfn dk ifr;kfxrkvk vk;ktu dju ,o [kydn midj.kk d d; gr vukord vunku 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	5-00	2.08	2.92
29&jk"Vh; ,o vUrjk"Vh; Lrj dh [ky ifr;kfxrkvk dk vk;ktu 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	5-00	2.08	2.92
30&ifMr nhu n;ky mik/;k; th dh tUe 'krkCnh d volj ij [ky ifr;kfxrkvk dk vk;ktu 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	185-29	----	185.29
33&flfoy lfolt bULVhV;VjktHkou dEikm.M Dyc y[kuÅ 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	100-06	41.69	58.37
35&l;n eknh eekfj;y vky bfM.;k ikbteuh cMfeUVu dEiVh'ku gr lgk;rk 20&lgk;rk vunku&lkekU; ¼xj oru½	100-00	41.67	58.33
;kx 104	**3774-89**	**1274.34**	**2500.55**
;kx 2204	**7559-55**	**2766.19**	**4793.36**
;kx 2013$2059$2204	**7563-65**	**2767.90**	**4795.75**
ith y[kk 4059&ykd fuek.k dk; ij ithxr ifj0;; 80&lkekU;&051&fuek.k 03&E;kgky d vukoklh; Hkouk d y?k fuek.k dk;k l lcf/kr dk; 25&y?k fuek.k dk;	0-50	0-21	0-29
;kx ¼&051	0-50	**0.21**	
dy ;kx 2013$2059$2204$4059	**7564.15**	**2768.11**	**4796.04**

¼ :i;k lrkfyl djkM fN;kUuc yk[k pkj gtkj ek= ½

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in